रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1113] नई दिल्ली, सोमवार जून 7, 2010/ज्येष्ठ 17, 1932

No.1113] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 7, 2010/JYAISTHA 17, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2010

का.आ. 1328(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की उप-धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के परामर्श से एतद्द्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 32 (अ) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः :—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 13 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, नामशः :—

1. डॉ. चिन्नी कृष्णा,
 चेयरमैन,
 ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया,
 1, एल्डीम्स रोड, अल्वरपेट,
 चेन्नै-600018
2. सुश्री नोरमा अल्वरेज,
 पीपुल फॉर एनीमल्स गोवा,
 जी-8, सेंट ब्रिट्टोज अपार्टमेंट्स
 फेरा अल्टा
 मापुसा गोवा-403507
3. सुश्री शिरानी पेरेइरा
 वरिष्ठ वैज्ञानिक,
 सैन्ट्रल इंस्टीटयूट आफ ब्रेकिश वाटर एक्वा कल्चर,
 75, सेन्थोम हाई रोड, आर.ए.पुरम,
 चेन्नै-600028

[फा. सं. 25/34/04-ए डब्ल्यू डी]

चन्दन सिंह, निदेशक, (ए डब्ल्यू)

टिप्पणी : वह अधिसूचना, जिसके तहत जीव जंतुओं पर परीक्षण को नियंत्रित करने और उसका पर्यवेक्षण करने के प्रयोजनार्थ समिति का गठन किया गया था, भारत के राजपत्र में दिनांक 10-01-2003 के का.आ. 32(अ) के अनुसार प्रकाशित की गई थी जिसे बाद में दिनांक 26-05-2003 के सं. का.आ. 599(अ), दिनांक 21-8-2003 के सं. का. आ. 955(अ), दिनांक 15-01-2004 के सं. का.आ. 69(अ), दिनांक 25-01-2005 के सं. का.आ. 85(अ) तथा दिनांक 19-10-2006 के सं. का.आ. 1817(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2010

S.O. 1328(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government on the advice of the Animal Welfare Board, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number S.O. 32(E) dated 10th January, 2003 with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:—

2. In the said notification, after serial number 13 the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

1. Dr. Chinni Krishna
 Chairman,
 Blue Cross of India,
 1, Eldeams Road, Alwarpet,
 Chennai-600018,
2. Ms. Norma Alvarez,
 People for Animals Goa,
 G-8, St Britto's Apts,
 Ferra Alta
 Mapusa Goa-403507

3. Ms. Shiranee Pereira
Senior Scientist,
Central Institute of Brackish Water Aqua culture,
75, Santhome High Road, R.A.Puram,
Chennai-600028.

[F. No. 25/34/04-AWD]

CHANDAN SINGH, Director (Animal Welfare)

Note:—The notification constituting the Committee for the purpose of Control and Supervision of Experimentation on Animal (CPCSEA) was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 32(E) dated 10-01-2003 which was subsequently amended number S.O. 599(E) dated 26-05-2003; S.O. 955(E) dated 21-08-2003; S.O. 69(E) dated 15-01-2004; S.O. 85(E) dated 25-01-2005; S.O. 1817(E) dated 19-10-2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.